बाल विवाह मुक्त
हमारा
बिहार

दहेज मुक्त बिहार
संकल्प हमारा

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा

नीति, कानून और योजनायें

सामुदायिक कार्यकर्ताओं और
प्रशिक्षकों के लिए सूचना पुस्तिका

मौजूदा सरकारी नीतियों, कानूनों और योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में
बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के मुद्दे पर काम करने के लिए
प्रशिक्षकों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं हेतु सूचना पुस्तिका

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह और दहेज प्रथा : भारत में सम्बंधित नीतियाँ, कानून और योजनायें

सामुदायिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों के लिए सूचना पुस्तिका

विषय सूचि

बाल विवाह, दहेज एवं हिंसा कैसे जुड़े है और इसके बारे में बात करना क्यों जरुरी है? 5

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा : देश के कानून और योजनायें क्या कहते हैं? 6

भाग 1: बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलु हिंसा व बाल शोषण को रोकने के लिए कानून 6

भाग 2: बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए के लिए सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं 8

I. राष्ट्रीय किशोरी स्वस्थ कार्यक्रम (RKSK) 9

II. किशोर उपयुक्त स्वास्थ्य क्लिनिक 10

III. सर्व शिक्षा अभियान 11

IV. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) 12

V. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) 13

VI. समेकित बाल संरक्षण परियोजना (ICPS) 14

VI. समेकित बाल संरक्षण परियोजना (ICPS) 14

VII. समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) 15

VIII. मुख्यमंत्री बालिका बाईसाइकिल योजना 17

IX. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम 17

X. मध्याह्न भोजन योजना 18

XI. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना 18

XII. राज्य योग्यता छात्रवृत्ति 19

XIII. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 19

XIV. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला 19

XV. पूरक पोषण योजना 20

XVI. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 21

XVII. वीएचएसएनडी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस) 21

IX. सन्दर्भ 22

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं 6

तालिका 2: किशोर उपयुक्त स्वास्थ्य क्लिनिक की प्रमुख विशेषताएं और इसके लाभ 10

तालिका 3: सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं और लाभ 11

तालिका 4: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं और इसके लाभ 12

तालिका 6: KGBV योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ 13

तालिका 6: ICPS की मुख्य विशेषताएं और आईसीपीएस के लाभ 15

तालिका 7: आईसीडीएस की मुख्य विशेषताएं और लाभ 16

बाल विवाह : भारत में नीतियां, कानून और योजनायें

सामुदायिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों के लिए सूचना पुस्तिका

बाल विवाह, दहेज एवं हिंसा कैसे जुड़े है और इसके बारे में बात करना क्यों जरुरी है?

भारत में आज भी 23 मिलियन (2 करोड़ 30 लाख) लड़कियों की शादियाँ कम उम्र में हो जाती हैं। बाल विवाह लड़के और लड़कियों दोनों के ऊपर ही बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन मोटे तौर पर इसका परिणाम लड़कियों पर अधिक बुरा प्रभाव डालता है। बाल विवाह की घटना की तुलना शहरी क्षेत्रो के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हो रही है। कम शिक्षित व गरीब परिवारों में इसके घटित होने की संभावना अधिक होती है, जबकि उन परिवारों के साथ ही रहने वाले उनसे संपन्न और ज्यादा शिक्षित परिवारों में इसकी संभावना कम हो जाती है। लैंगिक असुरक्षा, गरीबी और सामाजिक असमानता बाल विवाह के मुख्य कारण बने हुए हैं।

बाल विवाह की जड़ें भेदभावपूर्ण लैंगिक मानकों व पितृसत्तात्मक समाज की मान्यताओं में गहराई से धंसी हुई हैं। बाल विवाह के अंतर्गत आने वाले कारणों को संक्षेप में निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:

- दहेज प्रथा भी बाल विवाह को खाद–पानी मुहैय्या कराता है। लड़की की उम्र और शिक्षा बढ़ने से दहेज की रकम में भी बढ़ जाती है। इसलिए, शादी के बोझ के खर्च को कम करने के लिए परिवार (विशेष कर गरीब परिवार) के माता–पिता अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं। दृष्टान्त के लिए, विवाह समारोहों में लगने वाले ऊँची लागत के कारण कुछ राज्यों में परिवार अपने घर की सभी बेटियों की शादी उनकी उम्र की परवाह किये बिना एक ही शादी समारोह में कर देते हैं।
- लड़कियों को घर में बोझ समझा जाता है और इस वजह से दहेज देना समाज में ठीक माना जाता है। यह लम्बी पुरानी परम्परा पर आधारित है कि शादी होने पर लड़कियों को अपने घर के सदस्यों को छोड़ देना होता है (अक्सर उन्हें पराया धन कहा जाता है) जिसके कारण वे अपने पैतृक घर में आर्थिक योगदान नही कर पाती है। शादी से पहले वह पिता की जिम्मेदारी मानी जाती है, शादी के बाद वह पति की जिम्मेदारी बन जाती है, इसकी वजह से खुलेआम दहेज का लेन–देन होता है ।
- समाज में प्रचलित भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंड और समाज में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को कम महत्व देने वाले लैंगिक प्रथायें बाल विवाह के प्रचालन को बनाए रखने और उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समाज में औरतों की भूमिका को मुख्यतः बच्चा पैदा करने और घरेलु कामों तक सीमित कर दिया गया है, जिसके चलते उनकी शिक्षा व व्यक्तित्व विकास के अन्य जरूरतों पर निवेश (खर्च) करना व्यर्थ समझा जाता है।
- पितृसत्तात्मक मूल्य औरतों और लड़कियों के प्रजनन व यौन अधिकार को नियंत्रित करने में भूमिका अदा करते हैं। लड़की के साथ छेड़–छाड़, यौन उत्पीड़न होने अथवा उसके अपने इच्छा से विवाह रचाने से घर की इज्जत चले जाने तथा लड़की की कौमार्य चले जाने के खतरों के डर से अक्सर लड़कियों के घर वाले उनकी शादी कम उम्र में ही कर देते हैं।
- गरीबी तथा घर की आर्थिक तंगी भी बाल विवाह में सहायक बनती हैं।

बच्चों, विशेष कर लड़कियों पर बाल विवाह के बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यह उनके स्वास्थ व जीवन में चयन के विकल्पों को कई प्रकार से प्रभावित करता है।

- जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है वे बच्चे को जन्म देने व उसकी देख–रेख करने के लिए शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से परिपक्व नही होतीं हैं। बाल विवाह के कारण किशोरी माँ और उसके बच्चे के स्वास्थ्य को हमेशा खतरा बना रहता है। आँकड़े बताते है 20 वर्ष से कम उम्र की महिला से जन्मे दो में से एक बच्चा, जन्म के समय ही मर जाता है, जबकि तुलनात्मक तौर पर 20–39 आयु वर्ष के बीच की महिलाओं से जन्मे 3 में से 1 बच्चा की मृत्यु जन्म के समय हो जाती है। बाल विवाह की शिकार महिलाओं में प्रसव पीड़ा भी 30–34 वर्ष के बीच की उम्र की महिलाओं के अपेक्षा बहुत अधिक होती है।

- कम उम्र में माँ बनने वाली महिलाओं के बच्चे कम स्वस्थ होते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र में माँ बनने वाली महिलाओं से पैदा हुए 5 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों पर अल्प पोषण का अत्याधिक खतरा बना रहता है। ये कम उम्र की माँएं खुद भी खराब पोषण से पीड़ित रहती हैं।
- किशोरी दुल्हन का कहीं भी आना–जाना (खास तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर) बहुत ही सीमित होता है। केवल छः में से एक लड़की काम करने के लिए गाँव/समुदाय से बाहर जाने की स्थिति में होती है, जबकि केवल 5 में से 1 लड़की स्वास्थ सुविधाओं तक पहुँच पाती है। केवल 3 में से एक लड़की ही बाजार तक जा पाती है।
- कम उम्र की दुल्हन के साथ घरेलु हिंसा, गाली–गलौज व HIV/AIDS होने की संभावनाएं अधिक होती हैं तथा घर में उन्हें निर्णय लेने की आजादी भी बहुत कम मिलती है।
- कम उम्र में शादी होने के कारण अधिकतर लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत में हर दो में से एक लड़की दसवीं कक्षा के पहले पढ़ाई छोड़ देती है और इसकी दर कमजोर समुदायों में महत्वपूर्ण ढंग से काफी ऊँची है।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा : देश के कानून और योजनायें क्या कहते हैं?

लड़कियों के बाल विवाह के निहितार्थ को महसूस करते हुए, भारत सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून लागू किये हैं और शादियों में देरी करने हेतु मदद पहुँचाने के लिए योजनाएं भी लागू की हैं।

भाग 1: बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलु हिंसा व बाल शोषण को रोकने के लिए कानून

1. कानून के सन्दर्भ में, शादी की उम्र दो अधिनियमों 'हिन्दू विवाह अधिनियम (1954) अथवा 'विशेष विवाह अधिनियम (1954)' के शादी की उम्र, दो अधिनियमों के माध्यम से विनियमित की गयी है। इन अधिनियमों में वर्णित नियमों के अनुसार शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी जरुरी है। बाल विवाह प्रतिषेध कानून, 1929 बाल विवाह प्रथा को रोकने की दिशा में बना पहला कानून था। उस कानून में महत्वपूर्ण बदलावों को करके बाल विवाह निषेध कानून, 2006 बनाया गया।

तालिका 1: बाल विवाह निषेध अधिनियम, २००६ की प्रमुख विशेषताएं

प्रावधान	सजा	पुर्नवास
▪ सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। ▪ बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs) की नियुक्ति जिसके पास बाल विवाह रोकने, बाल विवाह हो जाने पर सम्बन्धित पक्ष पर अभियोग चलाने और बाल विवाह पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की शक्तियां निहित हों। ▪ इसके अतिरिक्त जिला अधिकारी के पास उचित साधन और न्यूनतम पुलिस बल का उपयोग करते हुए सामूहिक बाल विवाह को रोकने व प्रतिबंधित करने के लिए CMPOs जैसी शक्तियां उपलब्ध हैं।	▪ लड़का अनुबंध पक्ष के लिए दो साल की कठोर सजा अथवा रु० 10,000 का जर्मना अथवा दोनो । ▪ किसी के लिए भी इसी प्रकार के सजा का प्रावधान हैं जो किसी भी बाल विवाह का आयोजन, संचालन, निर्देशन करते हैं अथवा इसे बढ़ावा देते हैं। ▪ यह सजा का प्रावधान उन सभी लोगों पर लागू होता है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, इसकी अनुमति देते हैं अथवा उपेक्षा पूर्वक इस तरह की शादियाँ होने देते हैं।	▪ लड़की की शादी होने तक उसके भरण पोषण और रहने का खर्च लड़का अनुबंध पक्ष या फिर उसके माता–पिता द्वारा उठाया जाएगा। ▪ शादी में पक्षकार बच्चे (लड़की) के व्यस्क होने के दो साल के भीतर जिला न्यायलय से भरण–पोषण के रद्दीकरण की मांग की जा सकती है। ▪ इस प्रकार की शादी से पैदा हुए बच्चे की अभिरक्षा के लिए उपर्युक्त आदेश हो।

2. दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निषेध कानून 1961: दहेज का प्रचालन और विवाह समारोहों का बढ़ता खर्च बाल विवाह प्रथा को जारी रखने में एक प्रमुख कारण हैं। दहेज के प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने दहेज निषेध कानून, 1961 के तहत दहेज लेने और देने को निषेध घोषित किया है। कानून की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

   - दहेज लेन देन की मनाही (विवाह समारोह के समय, शादी के पहले या बाद लड़का या लड़की के माता–पिता द्वारा, किसी भी तरफ से, औपचारिक अथवा अनौपचारिक तौर पर एक दुसरे को दी गयी किसी भी प्रकार की संपत्ति/धरोहर अथवा जमानती राशि अथवा इसके लिए किया गया किसी भी प्रकार का करार)।
   - बिहार में दहेज निषेध कानून का उल्लंघन करने वाले को न्यूनतम रु० 5000/– जुर्माना उसके साथ 6 महीने के कारावास की सजा का प्रावधान है।
   - अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु जलने अथवा शरीर में किसी भी प्रकार के चोट से होती है और इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले उसके पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ निर्दयता अथवा उसका उत्पीड़न किया गया है, तो इस प्रकार की मृत्यु को 'दहेज हत्या' माना जायेगा और ऐसी स्थिति में दोषियों के लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
   - दहेज निषेध कानून का उल्लंघन संज्ञेय और गैर जमानती है।
   - बिहार के लिए दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

3. घरेलु हिंसा कानून, 2005 उन सभी महिलाओं को सुरक्षा और राहत पहुंचाने की बात करता है जिनके साथ घरों में हिंसा होती है तथा यह महिलाओं/लड़कियों के हिंसामुक्त जीवन के अधिकार को कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'घरेलु हिंसा' को परिभाषित करता है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं :

   - यह अधिनियम उन महिलाओं को सुरक्षा और राहत पहुंचता है जो उत्पीड़क के साथ रिश्ते में अभी हैं अथवा रह चुकी हैं जहां दोनो पक्ष एक ही घर में साथ रहते थे और महिला उस उत्पीड़नकारी व्यक्ति के साथ शादी अथवा शादी की प्रकृति के रिश्ते में अथवा दत्तक रिश्ते में है अथवा रह चुकी है। यह संयुक्त परिवार में रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों को भी शामिल करता है। इस कानून के तहत उन महिलाओं को भी कानूनी सुरक्षा पाने का अधिकार है जो बहनें, विधवा, माता अथवा एकल महिला हैं और उत्पीड़क के साथ रह रही हैं।
   - घरेलु हिंसा में शारीरिक, यौनिक, शाब्दिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न के वास्तविक रूप अथवा इस प्रकार के उत्पीडन की धमकी शामिल है। महिला अथवा उसके सम्बन्धी से दहेज की गैर कानूनी मांग भी इस कानून की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
   - यह कानून पीड़ित महिला को वैवाहिक या साझा परिवार में रहने का अधिकार प्रदान करते हुए उसके सुरक्षित आवास के अधिकार की बहाली करता है, चाहे उस घर में उसकी हकदारी हो अथवा न हो। महिला को यह आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए निवास अधिकार के तहत सुरक्षित किया जाता है। निवास आदेश किसी भी पीड़ित महिला के विरोध में किसी भी परिस्थिति में नही दिया जा सकता है।
   - यह कानून न्यायलय के आदेश देने की शक्ति को स्थापित करता है जिसके जरिये न्यायालय उत्पीड़क को घरेलु हिंसा करने अथवा उसे बढ़ाने अथवा अन्य विशेष काम से रोकने, कार्य स्थल या किसी अन्य स्थल पर दुर्व्यवहार करते हुए घुसने, गन्दी भाषा में बात करने, हिंसा का कारण बने किसी संपत्ति को दोनो पक्षों से अलग करने, अथवा किसी रिश्तेदार को जो महिला को हिंसा से बचाने में मदद कर रहा है उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आदेश पारित करता है।
   - कानून पीड़ित महिला को चिकित्सा, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय और रहने की सुविधा प्रदान करवाने के लिए सुरक्षा अधिकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त करता है।
   - सुरक्षा आदेश अथवा अंतरिम आदेश का उल्लंघन एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसके लिए एक वर्ष तक के कारावास अथवा रु० 20,000/- तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसी प्रकार, इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारी द्वारा आदेशों का अनुपालन न कराने अथवा कर्तव्यों का निर्वहन न करने को भी इसी श्रेणी का अपराध माना गया है और वही सजा का प्रावधान रखा गया है।

4. बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 माता–पिता अपने बेटियों की जल्दी शादी उन्हें यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बचाने के लिए करते हैं। लेकिन, जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में भी अक्सर यौन शोषण

का सामना करना पड़ता है। यौन कानूनों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 अथवा POCSO अधिनियम को बच्चों के होने वाले यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए बनाया गया।

- यह अधिनियम यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है और जो लोग यौन उद्देश्यों से बच्चों की तस्करी करते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान प्रदान करता है।
- अधिनियम अपराध की श्रेणी के अनुसार कठोर वर्गीकृत सजा को वर्णित करता है, और इसके अंतर्गत अधिकतम कठोर आजीवन कारावास तथा अर्थदंड का प्रावधान है।
- यह अधिनियम जांच प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर डालता है। इस प्रकार पुलिस कर्मियों को किसी भी बच्चे के यौन उत्पीड़न की घटना की जानकारी प्राप्त करते ही उनके ऊपर उस बच्चे के देख–रेख और सुरक्षा व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आ जाती है जैसे कि बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना और उसको आश्रय गृह में रखने की आवश्यकता होती है। उसे पुलिस को पूरा करना होता है। रिपोर्ट लिखे जाने के 24 घंटे के भीतर बच्चे को पुलिस द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश करना होता है, ताकि CWC आगे के लिए जरूरत के अनुसार बच्चे की सुरक्षा और संरक्षा की व्यस्था कर सके।
- अधिनियम में यौन शोषण से पीड़ित बच्चे के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है ताकि वह पैसा उस बच्चे के चिकित्सीय इलाज और पुर्नवास में खर्च हो सके।

5. इस बात को कहने के बहुत प्रमाण हैं कि लड़की के शिक्षा पर निवेश बाल विवाह के प्रथा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने ऐतिहासिक शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 पास किया है जो लड़के व लड़कियों, दोनो के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना देता है। इस कानून की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:

   - 6–14 वर्ष की उम्र के बीच के सभी बच्चों को अपने घर के नजदीकी स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसके तहत बच्चों का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करना अनिवार्य बना दिया है। इसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों को भी उनके उम्र के हिसाब से कक्षा में प्रवेश दिलाने का प्रावधान किया गया है।
   - बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा, चाहे वह प्रत्यक्ष विद्यालय शुल्क के रूप में या अप्रत्यक्ष तौर पर यूनिफार्म, किताबों, मध्याह्न भोजन, बच्चों के आने जाने के किराये के रूप में किसी भी प्रकार का शुल्क बच्चों अथवा उनके माता–पिता को भुगतान करने की जरूरत नही होगी। बच्चे की प्राथमिक पढ़ाई पूरी होने तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और उन्हें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी।
   - स्कूलों को स्कूल संरचना के मानकों और शिक्षक मानदंडों का अवश्य ही पालन करना होगा। स्कूल संरचना मानक के अनुसार स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जबकि शिक्षक मानदंडो के अनुसार प्राथमिक स्तर तक प्रत्येक 60 बच्चों पर दो अध्यापक नियुक्त होने चाहिए।
   - स्कूल को स्थानीय अधिकारियों, माता–पिता, अभिभावकों और अध्यापकों को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करना होगा, जिसका काम सरकारी अनुदान के उपयोग और स्कूल वातारण की निगरानी करना है। इन समितियों का गठन 50% औरतों और वंचित समूह के बच्चों के माता पिता की भागीदारी के साथ करना अनिवार्य है।
   - 6–14 वर्ष के उम्र के बच्चों हेतु निम्न क्रियाकलाप निषेध हैं (1) शारीरिक सजा और मानसिक उत्पीड़न, (2) प्रवेश के लिए छानबीन प्रक्रियाएं, (3) प्रति व्यक्ति शुल्क (4) शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण चलाना, (5) मान्यता के बिना स्कूलों का चलना।
   - निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण अनिवार्य बना दिया गया है।

भाग २: बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए के लिए सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं

सरकार ने बच्चों (विशेषकर लड़कियों) के अधिकारों को सुरक्षित करने के सम्बन्ध में कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरूआत की है, जो उनके शादी की उम्र को आगे बढ़ाने में मदद करतीं है।

I. राष्ट्रीय किशोरी स्वस्थ कार्यक्रम (RKSK)

१) यह कहां लागू किया जा रहा है?

देश भर में और बिहार के 10 जिलों में।

२) इसका उद्देश्य क्या है?

किशोरों, जो देश के 21% से अधिक आबादी का निर्माण करते हैं, के स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को संबोधित करना, जिसमे मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, लिंग आधारित हिंसा और गैर–संचारी रोगों के पहलु शामिल हैं, यह कार्यक्रम सहकर्मी शिक्षकों (peer educators) के माध्यम से समुदाय आधारित हस्तक्षेप को आगे बढ़ता है तथा मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ज्ञान भागीदारों तथा अधिक शोधों के सहयोग से मजबूत (underpinned) किया जाता है।

३) लाभ किसको मिल सकता है?

10–19 वर्ष के उम्र के बीच की विवाहित या अविवाहित कोई भी लड़की इसका लाभ उठा सकती है।

४) प्रमुख लाभ और विशेषताएं क्या हैं?

कार्यक्रम में प्रमुख बात इसका स्वास्थ्य संवर्धन दृष्टिकोण है। यह वर्तमान चिकित्सा आधारित सेवाओं से किशोरों के अपने वातावरण जैसे कि स्कूल और समुदाय, में पहुंच कर उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में बताना और बिमारियों के रोक–थाम करने की ओर एक ऐतिहासिक बदलाव है।

- कार्यक्रम की मुख्य चालक शक्ति समुदाय आधारित पहलकदमी है जैसे कि सहकर्मी शिक्षकों (peer educators) और सम्बंधित पेशवर सलाहकारों की समुदाय में पहुँच, और किशोर स्वास्थ्य को समर्पित दिवस के जरिये माता–पिता और समुदाय की कार्यक्रम में भागीदारी।
- हर स्तर पर देख–भाल के लिए किशोर स्नेहशील स्वास्थ चिकित्सालय की स्थापना। इस कार्यक्रम ने इन रणनीतियों और प्लेटफार्मों को किशोरों को उनके जगह पर पहुंचने, उन्हें सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानने में मदद करने, और किशोरता से वयस्कता में एक स्वस्थ संक्रमण में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है।
- इस कार्यक्रम का परिपालन (कार्यान्वयन) प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों व फैसिलिटेटर गाइड और रिसोर्स बुक प्रदान करने के माध्यम से एएनएम, चिकित्सा अधिकारी, परामर्शदाताओं और सहकर्मी शिक्षकों (Peer Educators) की क्षमता निर्माण को भी शामिल करता है।
- किशोरों के बीच संदेश प्रसारित करके उन्हें सशक्त करने के लिए सहकर्मी शिक्षकों के ढांचे का विकास करना। किशोर स्वास्थ्य क्लब बनाकर और किशोर स्वास्थ्य मेला के आयोजनों के जरिये सहकर्मी शिक्षकों की पहचान और उनका चयन तथा प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता का विकास करना व किशोरों का समूह बनाना।

II. किशोर उपयुक्त स्वास्थ्य क्लिनिक

१) यह कहां लागू किया जा रहा है?

देश भर में

२) उद्देश्य क्या है?

सभी किशोरों (विवाहित या अविवाहित) के लिए किशोर उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, और लड़कियों तथा लड़कों दोनो को उनकी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कराना।

३) कौन इसका लाभ ले सकता है?

10–19 साल के आयु समूह के बीच के सभी लड़कियां और लड़के

४) मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

तालिका २: किशोर उपयुक्त स्वास्थ्य क्लिनिक की प्रमुख विशेषताएं और इसके लाभ

सेवायें कहाँ उपलब्ध होंगी?	सेवाएं कौन प्रदान करेगा?	सेवाएं कब उपलब्ध होंगी?	उपलब्ध सेवाएं क्या हैं?
स्वास्थ्य उप केंद्र	स्वास्थ्य कर्मी (महिला)	सामान्य उप–केंद्र दिवस के दौरान	▪ किशोरों और नव–विवाहित जोड़ों का सदस्य बनाये जायेंगे ▪ दो बच्चों के बीच अंतर रखने के तरीकों का प्रावधान ▪ संस्थागत वितरण व जन्म के समय नियमित देखभाल ▪ बच्चे और सुरक्षित गर्भपात के लिए परामर्श की व्यवस्था ▪ प्रजनन पथ संक्रमण / यौन संचारित संक्रमण और एचआईवी / एड्स की रोकथाम के शिक्षा का प्रावधान ▪ एनीमिया की रोकथाम और मासिक धर्म की स्वच्छता सहित पोषण संबंधी परामर्श की व्यस्था ▪ गर्भवती किशोर माताओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र /समुदाय स्वास्थ्य केंद्र /जिला अस्पताल	▪ स्वास्थ्य सहायिका (महिला) ▪ लेडी स्वास्थ्य स्वयंसेवक ▪ चिकित्सा अधिकारी	प्रत्येक सप्ताह : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 घंटे के लिए किशोर क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा	▪ गर्भनिरोधक, कंडोम की व्यवस्था ▪ मासिक धर्म संबंधी विकारों का प्रबंधन और मासिक धर्म स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका ▪ प्रजनन पथ संक्रमण / यौन संचारित संक्रमण और एचआईवी / एड्स निवारक प्रबंधन सम्बंधित शिक्षा की व्यवस्था। ▪ चिकित्सीय गर्भपात के लिए परामर्श और सेवाओं की व्यवस्था ▪ पोषण संबंधी परामर्श की व्यवस्था ▪ यौन समस्याओं के लिए परामर्श ▪ गर्भवती किशोरियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था

III. सर्व शिक्षा अभियान

१) यह कहाँ लागू किया जा रहा है?

देश भर में

२) उद्देश्य क्या है?

6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाना।

- सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की 8 सालों की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो सके।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
- हाशियें पर खड़े समुदाय की लड़कियों और बच्चों लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच को सुलभ बनाना
- बच्चों को पढाई छोड़ने से रोकने के लिए सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करना

३) इसका लाभ कौन ले सकता है?

6–14 वर्ष के आयु समूह में लड़कियां और लड़के।

४) मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

तालिका ३: सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं और लाभ

▪ प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक स्कूल और तीन किलोमीटर के अन्दर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय	▪ 8 वीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण
▪ उच्च प्राथमिक स्तर की लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान	▪ लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था
▪ स्कूल न जाने वाली लड़कियों के लिए स्कूल चलो शिविर	▪ ब्रिज लर्निंग स्तरों के लिए विशेष प्रशिक्षण ▪ बड़ी लड़कियों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम
▪ 50% महिला शिक्षकों की भर्ती	▪ स्कूल में या उसके नजदीक आईसीडीएस कार्यक्रम के अभिसरण में (के साथ मिलकर) बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा केन्द्रों का संचालन।
▪ सीख के समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों का संवेदीकरण कार्यक्रम	▪ पाठ्यपुस्तकों सहित लिंग–संवेदी बातें सीखने–सिखाने की सामग्री।
▪ समुदायों, पंचायत, स्कूल प्रबंधन समितियों आदि को शामिल करके लड़कियों की शिक्षा की मांग को मजबूती प्रदान करने के लिए सामुदायिक लामबंदी करना।	▪ लड़कियों की कक्षाओं में उपस्थिति को सुनिश्चित व उनको स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए जरूरत आधारित हस्तक्षेप के लिए प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 15 लाख से 50 लाख रुपये तक का नवीनीकरण निधि प्रदान करना।

IV. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

१) यह कहां लागू किया जा रहा है?

देश भर में

२) उद्देश्य क्या है?

सभी किशोर बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा तक की पहुँच को सुलभ बनाना और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना

३) इसका लाभ किसको मिल सकता है?

14–16 वर्षों के आयु वर्ग के लड़कियों और लड़कों को

४) इसकी मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

तालिका ४: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं और इसके लाभ

▪ प्रत्येक बस्ती से 3 किमी की उचित दूरी के भीतर उच्च माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता ▪ सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार विद्यालय की आधारभूत संरचना और जरुरत के हिसाब से परिवहन / आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था	**माध्यमिक विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित करना** ▪ अतिरिक्त कक्षा के कमरे ▪ प्रयोगशालाओं ▪ पुस्तकालय ▪ कला और शिल्प कक्ष ▪ शौचालय ब्लाकों ▪ पीने के पानी के प्रावधान
▪ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शैक्षिक रूप से पिछड़ी लड़कियां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संदर्भ में,	▪ छात्र–शिक्षक अनुपात को 30% 1 के अनुपात तक लाने के लिए अतिरिक्त शिक्षक प्रदान करने का लक्ष्य ▪ दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय हॉस्टल प्रदान करना।
▪ सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सरकारी वित्तीय सहायता के माध्यम से व अन्य स्कूलों में उपयुक्त नियामक तंत्र के माध्यम से निर्धारित मानक के अनुसार भौतिक सुविधाओं व कर्मचारियों की आपूर्ति।	▪ विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ▪ शिक्षकों के लिए इन सर्विस प्रशिक्षण प्रदान करना। ▪ अनिवार्य विज्ञान प्रयोगशालाएं व आईसीटी (ICT) युक्त शिक्षा की व्यवस्था। ▪ पाठ्यक्रम में और सीखने–सिखाने की विधि में सुधारों को प्रोत्साहित करना।

V. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

१) यह कहां लागू किया जा रहा है?

पूरे देश भर मे

- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों अर्थात् देश भर में चिन्हित किये गए ब्लॉको में जहां महिला साक्षरता दर 46-3% के राष्ट्रीय औसत से नीचे है और साक्षरता में लिंग असामनता 21-5 9% राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।
- स्कूल उन क्षेत्रों में स्थापित होगें जहां एससी / एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी अधिक है और महिला साक्षरता काफी कम है तथा लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल से बाहर हैं। बड़ी संख्या में छोटे व बिखरी हुई बस्तियों वाले क्षेत्रों को भी जो कि स्कूल स्थापित करने के मानकों पर खरे नही उतरते हैं, इस योजना में शामिल किया गया है।

२) उद्देश्य क्या है?

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर रहने की सुविधाओं के साथ आवासीय स्कूलों की स्थापना के जरिये समाज के वंचित समूह से आने वाली लड़कियों तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

३) लाभ कौन ले सकता है?

6 से 14 वर्षों के आयु समूह में लड़कियां, जिसमे 75% सीटें एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित हैं और 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए आरक्षित हैं।

४) मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

तालिका ६: KGBV योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ

▪ इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जायेगी जहां पर मुख्य रूप से एससी / एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाली कम से कम 50 लड़कियां प्राथमिक स्तर की शिक्षा लेने के लिए उपलब्ध हों। पात्र लड़कियों की संख्या योग्यता के अनुसार 50 से अधिक भी हो सकती है। ▪ विशेष रूप से नियमित स्कूल न जा पाने वाली किशोर लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करना। ▪ उन बड़ी लड़कियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जो पढ़ाई छोड़ने को विवश हो सकती हैं अथवा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। यह छोटी उम्र की दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को भी यह लाभ दिया जाएगा, जैसे कि घुमंतू जनसंख्या वाले समुदायों, तितर–बितर बस्तियों में रहने वाली लड़कियों की जरूरतों को, जिनके लिए प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच पाना मुश्किल होता है।	▪ योजना के तहत स्थापित स्कूलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना। ▪ स्कूलों के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्रियों को तैयार करने और खरीद कर देने के माध्यम से सहायता प्रदान करना। ▪ आवासीय स्कूल से शिक्षा लेने हेतु लड़कियों और उनके माता–पिता को प्रेरित करना और उन्हें तैयार करना। ▪ जहां तक संभव हो वहां स्कूल चलाने में स्थापित गैर–सरकारी संगठनों और अन्य गैर लाभकारी निकायों को शामिल करना। आवासीय विद्यालयों को कॉर्पोरेट समूह द्वारा भी चलाया जा सकता है।

VI. समेकित बाल संरक्षण परियोजना (ICPS)

१) यह कहां लागू किया जा रहा है?

पूरे देश भर में

२) उद्देश्य क्या है?

मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के जीवन में बेहतरी लाना और उन जोखिम भरी परिस्थितियों को दूर करना जो उनके दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और पारिवारिक जुदाई आदि का कारण बनते हैं।

३) इसका लाभ कौन ले सकता है?

18 वर्ष से कम आयु के लड़कियां और लड़के जो देखभाल और सुरक्षा से वंचित हों। कानूनी रूप से विवादित बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

VI. समेकित बाल संरक्षण परियोजना (ICPS)

१) यह कहां लागू किया जा रहा है?

पूरे देश भर में

२) उद्देश्य क्या है?

मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के जीवन में बेहतरी लाना और उन जोखिम भरी परिस्थितियों को दूर करना जो उनके दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और पारिवारिक जुदाई आदि का कारण बनते हैं।

३) इसका लाभ कौन ले सकता है?

18 वर्ष से कम आयु के लड़कियां और लड़के जो देखभाल और सुरक्षा से वंचित हों। कानूनी रूप से विवादित बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

A) देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

- वह बच्चा जो बिना किसी घर के अथवा स्थिर निवास के और जीने हेतु जरुरी साधनों और प्रावधानों के बिना जिन्दगी जीने को विवश हो।
- वह बच्चा जो, किसी व्यक्ति के साथ रहता है (वह बच्चे का अभिभावक हो या कोई और) जिसने बच्चे को मारने या चोट पहुँचाने की धमकी दी हो।
- वह जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो, अथवा लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और / या जिसका कोई भी देख–भाल करने वाला न हो।
- वह बच्चा जिसके माता–पिता या अभिभावक जो बच्चे की देखभाल करने के योग्य न हों अथवा
- वह बच्चा जिनके माता–पिता / अभिभावक / देखभाल करने वाले न हों, या जिनके माता–पिता ने उसे छोड़ दिया है, या जो बच्च गुमशुदा है घर छोड़ कर चला गया है और उसके माता–पिता बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसे नहीं पा सके हों।

- जिनका बड़े पैमाने पर शोषण, यातना, यौन शोषण या अन्य अवैध कृत्यों के माध्यम से दुरूपयोग हो रहा हो अथवा होने की संभावना हो।
- वह बच्चा जो असुरक्षित हो और उसके नशीली दवाओं के दुरुपयोग या तस्करी में शामिल होने की संभावना दिखती हो।
- वह बच्चा जो किसी भी सशस्त्र संघर्ष, नागरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकता हो।
  - वह बच्चा कानून के साथ विवाद में है कहा जाता है जिसके ऊपर किसी भी अपराध में शामिल होने का आरोप लगा हुआ हो।
  - वह बच्चा कानून के साथ संपर्क में माना जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध का शिकार हुआ है या अपराध करते हुए देखा है।

४) प्रमुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

तालिका ६: ICPS की मुख्य विशेषताएं और आईसीपीएस के लाभ

देखभाल, सहायता और पुनर्वास सेवाएं	वित्तीय सहायता
▪ बच्चों की सुरक्षा और देखभाल की जरूरत के लिए बनाई गयी चाइल्ड लाइन बच्चों के लिए 24X7 घंटे आपातकालीन फोन सेवा चलती है, जो बच्चों को आपातकालीन और दीर्घाकालीन देखभाल और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। इस सेवा तक 1098 नंबर पर फोन करके पहुंचा जा सकता है। ▪ बच्चों का प्रायोजन, पालक देखभाल, गोद लेने और बाद की देखभाल के द्वारा परिवार आधारित और गैर–संस्थागत देखभाल। ▪ दोनो प्रकार के बच्चों, कानून के साथ विवाद में रह रहे बच्चों और शहरी तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रह रहे बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता पूरी करने के लिए नई संस्थागत सुविधाएं को खड़ा करने और मौजूदा संस्थागत सुविधाओं (आश्रय गृह, निगरानी घर, विशेष घर, बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष सेवाएं आदि) का रखरखाव व देखभाल करने में मदद करना,	▪ जरूरत–आधारित / रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता: ऐसे कार्यक्रम एक जिला / शहर की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर होंगे और इसे पायलट परियोजनाओं के रूप में शुरू किया जा सकता है: उदाहरण के लिए, कैदियों के बच्चों और सेक्स वर्कोरों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आदि। इस मद का उपयोग आपदा के बाद पुनर्वास कार्य के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ▪ प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति और बाल न्याय बोर्ड के गठन के लिए वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग। **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** ▪ बच्चों और उनके परिवारों को परामर्श प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं के एक ढांचे का विकास ▪ बाल संरक्षण डेटा का प्रबंधन और रिपोर्टिंग के साथ–साथ बाल संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करना। ▪ बाल संरक्षण के मुद्दे की हिमायत करना, इस मुद्दों पर जनता के साथ संवाद करना और लोगों को इस बारे में शिक्षित करना।

VII. समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS)

१) यह कहां लागू किया जा रहा है?

पूरे देश भर में

२) उद्देश्य क्या है?

स्कूल पूर्व की शिक्षा प्रदान करना और विभिन्न मुद्दे तथा 0–6 साल के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण, रोगग्रस्तता, बच्चों में सीखने की क्षमता की कमी तथा मृत्यु दर को कम करने संबंधी इत्यादि मुद्दों को संबोधित करना। इसके विशिष्ट उद्देश्यों में शामिल हैं:

- 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार।
- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
- बच्चों के रोगग्रस्तता, कुपोषण, मृत्युदर और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना तथा
- उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षण के माध्यम से माताओं की क्षमता का विकास करना ताकि वे अपने बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल कर सकें।

३) इसका कौन लाभ ले सकता है?

0–6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, 15–45 साल के आयु समूह में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं।

४) मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

यह योजना में निम्न शामिल सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है:

5)

- पूरक पोषण
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच
- रेफरल सेवाएं
- स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

तालिका ७: आईसीडीएस की मुख्य विशेषताएं और लाभ

सेवायें	लक्षित समूह	सेवा प्रदाता
पूरक पोषण	6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका
टीकाकरण'	6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं	सहायक नर्स / मेडिकल ऑफिसर
स्वास्थ्य जांच'	6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं	
रेफरल सेवाएं	6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं	सहायक नर्स/मेडिकल ऑफिसर/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
स्कूल पूर्व शिक्षा	बच्चे (3 – 6 वर्ष)	सहायक नर्स/मेडिकल ऑफिसर/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा	महिलाएं (15 – 45 वर्ष)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
'सहायिका नर्स द्वरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद से लक्षित समूह की पहचान की जाती है। छः सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ जाँच और रेफरल सेवा जैसी 3 सेवाओं को स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है।		

VIII. मुख्यमंत्री बालिका बाईसाइकिल योजना

१) उद्देश्य क्या है?

स्कूल के नामांकन में ड्रॉपआउट और जेंडर (सामाजिक लिंग) पर आधारित भेदभाव को कम करने के लिए

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

वह छात्राएं जिन्होंने 9वीं कक्षा में दाखिला लिया है

३) मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

9वीं कक्षा में दाखिला लेने के बाद छात्रा को 2500 रुपये का चेक दिया जाएगा।

इन रुपयों से वह रोज स्कूल आने–जाने के लिए साइकिल खरीद सकती है।

४) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है?

विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्कूल में

IX. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम

१) उद्देश्य क्या है?

किशोरियों में मासिक धर्म के दिनों में स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

किशोरियों को और कक्षा 8–12 के छात्राएं

३) मुख्या विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे

कक्षा 8–12 के हर छात्रा को अपने लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए : 150 उपलब्ध की गई है

४) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है?

विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्कूल में

X. मध्याह्न भोजन योजना

१) उद्देश्य क्या है?

स्कूल में नामांकन, उपस्थिति और पोषण को सुधारना

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

कक्षा 1–8 के छात्र और छात्राएं

३) मुख्या विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

कक्षा 1–8 के हर छात्र और छात्रा को गर्म और पका हुआ पौष्टिक मध्याह्न भोजन दिया जाएगा

४) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है?

विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्कूल में

XI. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

१) उद्देश्य क्या है?

अभिभावकों को अपने बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना और खर्च के लिए परेशान न होना। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए यह योजना एक उत्प्रेरक है

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

कक्षा 12 और 2 के छात्राओं के लिए

३) मुख्या विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

कक्षा 12 और 2 के छात्राएं जिनकी कक्षा में 75% उपस्थिति है, उन्हें रु 1000 सालाना अपने स्कूल के वर्दी, किताब, कॉपी, कलम आदि पढ़ाई के सामग्री खरीदने के लिए दी जाएगी

४) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है?

विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्कूल में

XII. राज्य योग्यता छात्रवृत्ति

१) उद्देश्य क्या है?

मेधावी छात्रों में उच्च शिक्षा के दौरान रोजमर्रा के खर्च में लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

11वीं कक्षा के कुछ मेधावी छात्र और छात्राओं को 400 रूपये और 12वीं कक्षा के कुछ मेधावी छात्र और छात्राओं को 500 रूपये 10 माह तक प्रतिमाह दिए जायेंगे और साथ ही आईटीआई की परीक्षा सफलता से पास करने वाले छात्र और छात्राओं को छात्रवृति के रूप में 50,000 रूपये दिए जायेंगे

३) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है ?

विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्कूल में

XIII. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

१) उद्देश्य क्या है?

छात्र व छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

इस योजना के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी / पिछड़े वर्ग–2 के छात्र, जिन्होंने राज्य के विद्यालयों की कक्षा 10 में प्रथम श्रेणी पारित की है, को प्रति छात्र 10,000/- रुपये प्रोत्साहन रूप में मिलेगा। ।

३) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है ?

विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्कूल में

XIV. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला

१) उद्देश्य क्या है?

किशोरियों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, गृह/जीवन/कौशल प्रदान करना

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और जागरूकता को बढ़ावा देना और अपने व्यावसायिक कौशल को अपग्रेड करना

यह योजना (एसएबीएलए) बारह जिलों पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, वैशाली, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, सहरसा, बांका, मुंगेर, कटिहार और किशनगंज में चल रही है।

1. पोषण प्रावधान– 15 से 18 वर्ष के आयु समूह में 11–15 वर्ष आयु वर्ग के सभी आयु वर्गों में स्कूल छोड़ने वाली किशोरी लड़कियों को प्रत्येक छात्र को वर्ष में 300 दिनों के लिए टीएचआर (राशन घर ले जाने) के रूप में एसएन प्रदान किया जाएगा।
2. आईएफए की 100 गोलियां किशोरी शक्ति दिवस पर प्रत्येक लाभार्थी को पर्यवेक्षित उपभोग के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
3. एक विशेष दिन पर 3 महीने में एक बार स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं।
4. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा हर महीने किशोरी शक्ति दिवस पर स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी। इसमें भोजन की आदतों, व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, शेष आहार आदि का उपयोग शामिल है।
5. परिवार कल्याण, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल देखभाल प्रथाओं और गृह प्रबंधन पर परामर्श / मार्गदर्शन – गैर–सरकारी संगठन जैसे प्रजनन चक्र, एचआईवी / एड्स, गर्भनिरोधक, मासिक धर्म की स्वच्छता आदि जैसे संसाधन व्यक्ति द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में उचित ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
6. जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवा तक पहुंच – व्यक्तिगत दक्षता प्रशिक्षण विकसित करने के लिए आत्मविश्वास निर्माण, आत्म जागरूकता, निर्णय लेने, महत्वपूर्ण सोच, संचार कौशल, मौजूदा सार्वजनिक सेवाएं आदि प्रदान करेगा।
7. एनएसडीपी के तहत 16 और उससे ऊपर की आयु की लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण ।
8. 18 वर्ष की आयु के बाद स्वयं रोजगार की ओर उन्मुख दिशा–निर्देशों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

४) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है ?

- विभागः आईसीडीएस–महिला एंव बाल विकास मंत्रालय बिहार सरकार,समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
- उपलब्धः आंगनवाड़ी केंद्र/ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस/जीवन कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र

XV. पूरक पोषण योजना

१) उद्देश्य क्या है?

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वालों की घटनाओं को कम करना

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

किशोरियां इस योजना का लाभ उठा सकती है इसमें लड़कियों को एक वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषण दिया जाता है और आंगनवाड़ी केंद्र में घर के राशन के रूप में पूरक भोजन प्रदान किया जाता है।

३) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है ?

विभाग: आईसीडीएस–महिला एंव बाल विकास मंत्रालय बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्थानीय आंगनवाड़ी केंद

XVI. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

१) उद्देश्य क्या है?

लड़की की शादी के समय लड़की के परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, शादी और उसकी शिक्षा के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकना। दहेज के अभ्यास को रोकने के लिए योजना का भी लक्ष्य है।

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

बीपीएल श्रेणी के योग्य लड़की लाभार्थियों को शादी के समय 5000/- दिए जाते है । यह एक बार नकद हस्तांतरण योजना है जो सही उम्र में विवाह करने का समर्थन करती है।

३) यह योजना किस विभागके द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है ?

विभाग: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

उपलब्ध: आंगनवाड़ी केंद

XVII. वीएचएसएनडी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस)

१) उद्देश्य क्या है?

यह योजना मातृ / बाल मृत्यु को कम करने के लिए, कुपोषण का स्तर कम करने, संक्रमण की रोकथाम के लिए, और रोगों के कारण बताना है, इस में एक दिन निर्धारित करके बिहार सरकार द्वारा उस गांव के लिए वीएचएसएनडी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस) के रूप में नामित किया जाता है

२) इस का लाभ कौन उठा सकते हैं?

इस दिन गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरी लड़कियों के साथ नई माताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य समाधान प्रदान किया गया है।

३) यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और कहाँ से उपलब्ध है ?

विभाग: आईसीडीएस–महिला एंव बाल विकास मंत्रालय बिहार सरकार/राज्य स्वास्थ्य समिती, बिहार सरकार

उपलब्ध: स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र

IX. सन्दर्भ

Briefing Paper Series: Innovations, Lessons and Good Practices. Community based interventions on Child Marriage, UNICEF 2011Child Marriage in India: An Analysis of available data, UNICEF 2012Dowry Prohibition Act, 1961, Ministry of Women and Child Development, available at http://wcd.nic.in/dowryprohibitionact.htm

End Child Marriage, Change Perceptions and Beliefs, UNICEF 2013

Child Marriage: A Harmful Tradition, UNICEF, 2005

Ending Domestic Violence through Non Violence: A Manual for PWDVA Protection Officers, Lawyers Collective, 2009

Guidelines for Implementation of Adolescent Girls Scheme as a component under centrally sponsored ICDS (General scheme), Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, available at http://wcd.nic.in/KSY/ksyguidelines.htm

The Integrated Child Protection Scheme, Ministry of Women and Child Development

Implementation Guide on RCH II ARSH Strategy, Ministry of Health and Family Welfare, 2006

Girl's education, SSA, available at: http://ssa.nic.in/girls-education

Margaret E Greene, Ending Child Marriage: What research is needed, Greeneworks, January 2014

National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL) – brief, SSA, Ministry of Human resource development available at: http://ssa.nic.in/girls-education/npegel/brief_NPEGEL_12Mar07.pdf/view

Progress of Children, UNICEF 2007

Right to Education, Department of Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, available at http://mhrd.gov.in/rte

State of the World's Children 2011, Adolescence – An Age of Opportunity, UNICEF

Special Financial Incentives Schemes for the Girl Child, A Review of select schemes, UNFPA

Step Programme available at http://wcd.nic.in/schemes/step_scheme.pdf

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग